न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— 64 / 2015

पोलाराम पुत्र श्री रामकि ान जाति कुम्हार निवासी 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. रिछपाल सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
2. करणी सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
3. उप पंजियक खाजूवाला
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

..........प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे ा 7, नियम 11 सी.पी.सी.

आदे ा **दिनांक :— 29.11.19**

प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ ने प्रार्थना पत्र आदे ा 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र में चाहा गया अनुतोश कॉज ऑफ एक ान के अभाव एवं क्षेत्राधिकार के बाहर पे ा किया गया है। वाद में वर्णित भूमि चक 17 केवाईडी 'ए' के मु.न. 116 / 16 के कि.न. 1 ता 17 की कुल 17.00 बीघा भूमि प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी भूमि है। जिसमें अप्रार्थी / वादी पोलाराम और अन्य का कोई भी सरोकार नहीं है। अतः अप्रार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थी / वादी श्री जयवीर सिंह ने आदे ा 7 नियम 11 में जबाब प्रार्थना पत्र पे ा कर निवेदन किया कि वाद किसी भी प्रकार से बार्ड बाई लॉ नहीं है तथा वाद में वर्णित भूमि जरिये इकरारनामा पोलाराम द्वारा खरीद ुदा है व विधिक रूप से काबिज का त है। अतः प्रार्थना पत्र आदे ा 7 नियम 11 खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदे ा 7 नियम 11, जबाब प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेज का गहन अवलोकन व अध्ययन करने पर न्यायालय का मतह�

 कि प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 रिछपाल सिंह द्वारा धारित भूमि चक 17 केवाईडी 'ए' के मु.न. 116 / 16 के कि.न. 1 ता 17 की तादादी 17.00 बीघा भूमि उसकी खातेदारी भूमि है। जिस पर अप्रार्थी / वादी को वाद लाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ है। अतः प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदे ा 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदे ा आज दिनांक 29.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)